

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्वीकृत सेवा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 8 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उक्त कॉलम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	मान कार्मिक नय. सं. स्थान (राउनावि/राभाउनावि)	व्याख्याता का विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी	वेतन ब्रेड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पारसनाल जैन केकडी-अजमेर	रसायन विज्ञान	01.07.70	09.09.97 व.अ.	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	9300-34800	5400	09.09.17
2	सलज माथुर वईकडा-जोधपुर	रसायन विज्ञान	10.01.60	30.08.96	RVRES	20 वर्षीय	15600-39100	8900	30.08.16

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति पद वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।




(नथमल डिल्लन)

आज्ञाकारी
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगु/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउनावि
4. संबंधित कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. गार्ड फाइल



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर